भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं0 231*

22 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

मलिन बस्तियों में नागरिक सुविधाएं

***231. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मलिन बस्तियों में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने और मलिन बस्तियों के विकास के लिए धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों के संबंध में सर्वेक्षण कराने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का देश के महानगरों में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

'स्लमों में नागरिक सुविधाएं' के संबंध में 22.12.2022 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.*231 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): 'भूमि' और 'कालोनीकरण' राज्य के विषय हैं। नागरिक सुविधाएं प्रदान करने सहित स्लमों के विकास से संबंधित योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, केंद्र सरकार विभिन्न मिशनों, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0), स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू 2.0) के माध्यम से स्लमों का विकास करने और स्लमवासियों को नागरिक सेवाएं प्रदान करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करती है।

पीएमएवाई-यू के तहत, स्लमवासियों सहित शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों के लिए आवासों के निर्माण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

एसबीएम-यू के तहत, स्लमों सहित शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के साथ बुनियादी आवश्यकताओं के आधार पर सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों और व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी की जाती है। पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एसबीएम-यू के तहत जारी केंद्रीय हिस्सा धनराशि का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

अमृत योजना के तहत, संपूर्ण मिशन अवधि के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए 35,990 करोड़ रू. की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता सहित 77,640 करोड़ रू. की राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) अनुमोदित की गई है। जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित स्थानों और पार्कों और गैर-मोटरीकृत शहरी परिवहन हेतु अमृत परियोजनाओं के लिए अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 31,198 करोड़ रू. की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अमृत के तहत जारी की गई केंद्रीय धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

मिशन अवधि के दौरान शहरों को कचरा मुक्त और जल सुरक्षित बनाने के लिए हाल ही में अमृत 2.0 और एसबीएम 2.0 आरंभ किए गए हैं। अमृत 2.0 के तहत, अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत 93,800 करोड़ रू. की 4,830 परियोजनाओं के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य जल कार्य योजना (एसडब्ल्यूएपी) को

अनुमोदन दिया गया है। एसबीएम 2.0 के तहत, मिशन आवंटन 33,993.60 करोड़ रू. है, जिसमें से 1877.23 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ): सेंसस ऑफ इंडिया देश में दशकीय आधार पर स्लमों सहित जनसंख्या की गणना करता है। पिछली जनगणना 2011 में की गई थी, जिसके अनुसार देश भर में 1,08,227 स्लमों में कुल 6.54 करोड़ व्यक्ति रह रहे थे।

(ङ): पीएमएवाई-यू, एसबीएम-यू और अमृत के अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नागरिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है ताकि स्लम क्षेत्रों सहित सभी नागरिकों को किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत स्लमवासियों सहित सभी पात्र परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रू. तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है और स्लमों सहित लोगों के आवासों के समीप निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) की स्थापना की जाती है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार सौभाग्य - प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) और उजाला योजना को स्लम, अन्य क्षेत्र सहित सभी शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित कर रही है।

*****

दिनांक 22.12.2022 के लोकसभा तारांकित प्रश्न सं0 231 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएमएवाई-यू के तहत पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23) के दौरान जारी केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा

[12 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार]

क्र. संQ	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रू. में)
1	आंध्र प्रदेश	8,935.71
2	बिहार	675.20
3	छत्तीसगढ	1,568.33
4	गोवा	46.96
5	गुजरात	8,220.95
6	हरियाणा	480.29
7	हिमाचल प्रदेश	81.09
8	झारखंड	801.94
9	कर्नाटक	2,184.82
10	केरल	586.38
11	मध्य प्रदेश	5,667.52
12	महाराष्ट्र	7,711.38
13	ओडिशा	910.39
14	पंजाब	910.87
15	राजस्थान	1,907.11
16	तमिलनाडु	3,394.67
17	तेलंगाना	1,092.61
18	उत्तर प्रदेश	10,343.71
19	उत्तराखंड	312.91
20	पश्चिम बंगाल	2,924.21
उप-कुल (राज्य)		**58,757.05**
21	अरुणाचल प्रदेश	36.30
22	असम	459.92
23	मणिपुर	198.44
24	मेघालय	22.78
25	मिजोरम	87.49
26	नगालैंड	140.62
27	सिक्किम	3.29
28	त्रिपुरा	297.82
उप-कुल (पूर्वोत्तर राज्य)		**1,246.66**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.55
30	चंडीगढ़	12.92
31	दादरा और नगर हवेली और दमन-दीव	83.88
32	दिल्ली	196.34
33	जम्मू और कश्मीर	177.72
34	लद्दाख	4.90
35	लक्षद्वीप	-
36	पुदुचेरी	55.83
उप-कुल (संघ राज्य क्षेत्र)		**533.14**
कुल योग		**60,536.85**

दिनांक 22.12.2022 के लोकसभा तारांकित प्रश्न सं0 231 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23) के दौरान जारी केंद्रीय हिस्सा धनराशि का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा

क्र. संO	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी केंद्रीय हिस्सा धनराशि (करोड़ रू. में)
1	आंध्र प्रदेश	298.68
2	बिहार	8.58
3	छत्तीसगढ	10.14
4	गोवा	8.08
5	गुजरात	95.46
6	हरियाणा	10.41
7	हिमाचल प्रदेश	16.03
8	झारखंड	4.77
9	कर्नाटक	216.23
10	केरल	5.64
11	मध्य प्रदेश	157.60
12	महाराष्ट्र	400.23
13	ओडिशा	207.25
14	पंजाब	193.81
15	राजस्थान	47.84
16	तमिलनाडु	630.66
17	तेलंगाना	191.71
18	उत्तर प्रदेश	529.12
19	उत्तराखंड	94.10
20	पश्चिम बंगाल	223.50
उप-कुल (राज्य)		**3,349.83**
21	अरुणाचल प्रदेश	15.76
22	असम	82.84
23	मणिपुर	19.55
24	मेघालय	0.60
25	मिजोरम	19.31
26	नगालैंड	8.61
27	सिक्किम	4.50
28	त्रिपुरा	28.07
उप-कुल (पूर्वोत्तर राज्य)		**179.24**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.06
30	चंडीगढ़	23.14
31	दादरा और नगर हवेली और दमन-दीव	0.18
32	दिल्ली	230.37
33	जम्मू और कश्मीर	27.98
34	लद्दाख	0.32
35	लक्षद्वीप	0.00
36	पुदुचेरी	6.29
उप-कुल (संघ राज्य क्षेत्र)		**288.34**
कुल योग		**3,817.40**

दिनांक 22.12.2022 के लोकसभा तारांकित प्रश्न सं0 231 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

अमृत और अमृत 2.0 के तहत पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23) के दौरान जारी केंद्रीय हिस्सा धनराशि का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा

अमृत के तहत पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23) के दौरान जारी केंद्रीय हिस्सा धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण		
क्र. सं0	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी केंद्रीय हिस्सा धनराशि (करोड़ रू. में)**
1	आंध्र प्रदेश	24.91
2	बिहार	714.53
3	छत्तीसगढ	603.25
4	गोवा	1.74
5	गुजरात	405.60
6	हरियाणा	327.50
7	हिमाचल प्रदेश	134.58
8	झारखंड	332.23
9	कर्नाटक	468.51
10	केरल	684.92
11	मध्य प्रदेश	468.03
12	महाराष्ट्र	2,779.73
13	ओडिशा	158.84
14	पंजाब	1,025.24
15	राजस्थान	724.75
16	तमिलनाडु	2,225.68
17	तेलंगाना	477.07
18	उत्तर प्रदेश	3,053.91
19	उत्तराखंड	314.44
20	पश्चिम बंगाल	1,451.38
उप-कुल (राज्य)		**16,376.84**
21	अरुणाचल प्रदेश	61.31
22	असम	252.46
23	मणिपुर	69.94
24	मेघालय	85.75
25	मिजोरम	49.30
26	नगालैंड	50.17
27	सिक्किम	19.83
28	त्रिपुरा	127.69
उप-कुल (पूर्वोत्तर राज्य)		**716.45**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.34
30	चंडीगढ	33.00
31	दादरा और नगर हवेली और दमन-दीव	4.16
32	दिल्ली	207.10
33	जम्मू और कश्मीर	106.33
34	लद्दाख	12.07
35	लक्षद्वीप	0.41
36	पुदुचेरी	34.09
उप-कुल (संघ राज्य क्षेत्र)		**401.50**
	एनआरएससी	7.26
कुल		**17,502.05**